News monitoring system की ID NO. 90 की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट

विषयः– दैनिक समाचार पत्र 'राजस्थान पत्रिका' में दिनांक 05.08.2019 के अंक ''फीस जेब में रखकर मीटर लगाने का खेल, फिर उपभोक्ता को बता रहे दोषी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संबंध में।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के जयपुर शहर वृत के अधीन समस्त क्षेत्र में विद्युत चोरी को रोकने हेतु लगातार मोनिटरिंग की जा रही है। जहां पर भी विद्युत चोरी पाई जाती है, तो मौके पर ही वी.सी.आर. भरकर नोटिस दिया जाता है। तथा उससे संबंधित कार्यवाही की जाती है। बिजली चोरी की सूचना प्राप्त होने पर उस तुरंत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। विद्युत चोरी करने पर किसी को छुट नही दी जाती है।

अधिशाषी अभियन्ता (न.ख.–षष्ठम) ने अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (एफ–तृतीय) द्वारा अपने क्षेत्र में जांच की गई। जाचं के दौरान सुमेर नगर क्षेत्र में पाया गया कि वहा पर श्री जगदीश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामनारायण विजयवर्गीय, म.नं. 230 में अवैध मीटर लगा पाया जिसको जब्त करके मौके पर वीसीआर भरी गई। उक्त प्रकरण में परिसर पर अवैध मीटर होना पाया गया है। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है एवं नियमानुसार FIR दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। इसमें जो भी दोषी पाया जायेगा उस पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति इस कार्यलय के द्वारा की गई एवं जांच रिपोर्ट 3 दिवस में प्रस्तुत करने निर्देश दिये गए है।